कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में कार्यरत कर्मचारियों के त्यागपत्र देने की दशा में उनके अर्जित अवकाश भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जा रही है–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के विनियम सं0 52 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार उपार्जित अवकाश की अधिकतम अवधि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सुसंगत नियमों के अनुरूप रहने का उल्लेख है।

उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में राज्य सरकार के शासनादेश सं0 सामान्य–4–1687/दस–83– 200–77टी0सी0–वित्त(सामान्य) अनुभाग–4 दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा उसके साथ पठित शासनादेश सं0 सा–4–392/दस–99– 203/86 वित्त(सामान्य) अनुभाग–4 दिनांक 04 जुलाई, 1999 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के अवकाश लेखे में जमा कुल अर्जित अवकाश के 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा अधिकतम 150 दिन के अर्जित अवकाश भुगतान किये जाने की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

परिणामस्वरूप बैंक द्वारा जारी आदेशांक सी–110/स्थापना/2006–07, दिनांक 31.08.06 को दृष्टिगत रखते हुए बैंक सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को भी राजकीय सेवारत कर्मियों की भाँति उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 दिन, दोनों में से जो भी कम हो, के अनुसार अर्जित अवकाश नकदीकरण के भुगतान की कार्यवाही की जानी है।

कृपया तदानुसार सम्बंधित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

कार्यालय ज्ञाप सं0 26786 /स्थापना/2020–21 दिनांक 22/9/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त योजनाधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. प्रबन्धक(आई0टी0सेल) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की शाखाओं की ई–मेल आई0डी0 पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक